

अधिकारी
दालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर

2/8/23

तारीख रजू.....

गणेशसिंह

बनाम

जतनसिंह वगैरा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19.05.2023	<p>वकिल प्रार्थी उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वकिल प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया। प्रार्थना पत्र की ताईद मे वकिल सायल ने शपथ पत्र ,नकल जमाबंदी पेश की व अप्रार्थीगण को पाबंद कराने का निवेदन किया वकिल सायल को एक पक्षीय सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल के,पक्ष में बखूबी सावित है।</p> <p>अतः उभयपक्षकारान् को जर्ये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी तारीख पेशी तक पाबंद किया जाता है कि विवादीत आराजीयात खसरा नम्बर 1609, 1103/1409, वाके ग्रम बसेठ तहसील कठूमर में प्रार्थी के हिस्से तक रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें। एक्स पार्टी स्थगन जारी किया जा रहा है। ऐसे में अप्रार्थी में से किसी के उपस्थित होकर बहस के लिए कहने पर वकिल प्रार्थीगण अनिर्वात बहस करनी होनी अन्यथा एक्स पार्टी स्थगन स्वतः निरस्त समक्षा जावेगा।</p> <p>अप्रार्थीगण को नोटिस हो कि उक्त आदेश बाबत् कोई उज्र हो तो दिनांक 05.06.2023 को पेश करें कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थी जरिये नोटिस रजि0 डाक से तलब होकर पत्रावली दिनांक 05.06.2023 को वास्ते तलबी अप्रार्थी पेश हो।</p>	

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)
राज्य (अलवर) राक

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम
अहका
की ता

17/7/23

हुक्म करीकेन एच.प.०
वाहव... 3-...
स्वायधी दिनांक 16/10/23
को पेश हो।

16/10/23

हुक्म करीकेन एच.प.०
वाहव...
स्वायधी दिनांक 11/11/23
को पेश हो।

11/11/23

Not Present

वहिल उपरोक्त वकील जकी अपने प्रमाण
22 RTI के चौर चलाना नहीं करते हैं
के हुक्मने अपने प्रमाण - पत्र 22 RTI
को प्रेश प्रेश कर दिया है। अतः जमी
का प्रमाण - पत्र 22 RTI वकील जकी
के प्रेश प्रेश के बाद वही प्रेश प्रेश
दिया जाता है प्रमाण वी मल शुभ वी मल
मूल शक्ति के साथ - मल वी मल

उपरोक्त जजिका
कटकर (अलगपर)